न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 81/2022

उनवान

1. केसर पुत्री श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रीमती ज्यानी देवी पत्नी श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. रोशन पुत्र श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. लादू लाल पुत्र श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. शोभा देवी पुत्री श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

..... **वादीगण**

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र रतन लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   1/1 सुख लाल पुत्र श्री नन्द लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   1/2 प्रकाश पुत्र श्री नन्द लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   1/3 श्रवण पुत्र नन्द लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री पृथ्वीराज चौधरी उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01 1/1 से 1/3 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18–03–2025

यह है कि वादीया के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद यह है कि यह है कि सरहद यह है कि तगडिया पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 193/2 एक सौ तरानवे/दो रकबा 0.2150 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादीगण ने उक्त आराजी व अन्य आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 12/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 05 पांच मार्च 2020 दो हजार बीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक के कायम मुकाम को होने पर माह फरवरी 2022 दो हजार बाईस मे प्रतिवादी संख्या 01 एक के कायम मुकाम द्वारा वादी की आराजी नम्बर 193/2 में 0.1264

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कब्जा कर अपनी आराजीयात मे मिला दिया, जिससे दिनांक 29 उनतीस जून 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादीगण की आराजी नम्बर 193/2 रकबा 0.2150 हैक्टयर मे से 0.1284 हैक्टयर भूमि जो कि मौका पर्चा मे दर्शित कर रखी है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 एक का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक का कोई हक अधिकार नहीं है।. यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक के कायम मुकाम को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित वादीगण की आराजी नम्बर 193/2 रकबा 0.2150 हैक्टयर मे से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 0. 1264 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 20 बीस नवम्बर 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नहीं बिगाड सकता है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद तगडिया पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडीद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 193/2 एक सौ तरानवे/दो रकबा 0.2150 हैक्टयर में से प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा ०. 1264 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद तगडिया पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) से आराजी नम्बर 193/2 एक सौ तरानवे/दो रकबा 0.2150 हैक्टयर मे से प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा 0.1264 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के विरूद्व सादिर फरमायी जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 1/1 से 1/3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 1/1 से 1/3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादी 1–श्री लादू लाल पुत्र भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत (2075–2078) व प्रदर्श–2 व 03 पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 12/2020 पारित आदेश दिनांकित 05.03.2020 की आदेश की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 26–06–2022 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी ।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर का अवलोकन किया गया , बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीगण के खाते मे चली आ रही है। उक्त भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 से होती है। पटवार हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 1/1 से 1/3 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव:

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 1/1 से 1/3 ने वादीगण की ग्राम तगडिया पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 193/2 रकबा 0.2150 हैक्टयर मे से रकबा 0.1264 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 0.1264 है0, भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 0.1264 है0 भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 1/1 से 1/3 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 18–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला–भीलवाड़ा

PDF Scanner ACE Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–81 / 2022

उनवान

1. केसर पुत्री श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रीमती ज्यानी देवी पत्नी श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. रोशन पुत्र श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. लादू लाल पुत्र श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. शोभा देवी पुत्री श्री भैरू कुम्हार नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

..... **वादीगण**

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र रतन लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   - 1 / 1 सुख लाल पुत्र श्री नन्द लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   - 1 / 2 प्रकाश पुत्र श्री नन्द लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   - 1 / 3 श्रवण पुत्र नन्द लाल गुर्जर नि0 तगडिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री प्रवीण चोरडिया उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01, 2 / 1 से 2 / 4 – अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 18–03–2025

वादीगण की ओर से श्री पृथीराज चौधरी , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 18–03–2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 01 1 / 1 से 1 / 3 ने वादीगण की ग्राम तगडिया पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 193 / 2 रकबा 0.2150 हैक्टयर मे से रकबा 0.1264 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 0.1264 है0, भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 0.1264 है0 भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 1 / 1 से 1 / 3 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

आज दिनांक 18–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

PDF Scanner ACE Scanner